

राजस्थान सरकार  
गृह (गुप-12) विभाग

गृह (गुप-6) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर  
दफ्तरी संख्या ...1569...  
दिनांक ...17/8/23...  
जयपुर, दिनांक 17.08.2023

क्रमांक : प.7(11)गृह-12/कारा/2012 पार्ट-2

:: आदेश ::

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का संख्या-02) की धारा 432 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये ऐसे बंदियों को राजस्थान राज्य के आपराधिक अधिकारिता के न्यायालयों द्वारा सिद्ध दोष ठहराये गये हैं, जो इस राज्य की जेलों में सजा भुगत रहे हैं, जिनका आचरण निरन्तर अच्छा है को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.04.2022 के अनुसरण में आजादी अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 अगस्त, 2023 के अवसर पर विशेष माफी देते हुए निम्नांकित बंदियों को समयपूर्व रिहा करने के आदेश एतद् द्वारा प्रदान किये जाते हैं :-

क.सं.	बंदी का नाम	कारागृह का नाम
1.	केवल सिंह पुत्र दीवानचन्द	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
2.	जगराम पुत्र रूपचन्द	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
3.	कैदार पुत्र लक्ष्मण	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
4.	मोती पुत्र लक्ष्मण	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
5.	जीतमल पुत्र लक्ष्मीनारायण	केन्द्रीय कारागृह, कोटा
6.	चन्द्रप्रकाश पुत्र लाल सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर
7.	बाल सिंह पुत्र कज्जी सिंह	केन्द्रीय कारागृह, भरतपुर
8.	साबिर खान पुत्र रसीद भाई	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)
9.	विधाता पुत्र गंगाराम रैगर	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)
10.	बजरंगलाल उर्फ विजु पुत्र हमीराराम	केन्द्रीय कारागृह, बीकानेर
11.	जीवा पुत्र कचरा	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
12.	रोशनलाल पुत्र गिरधारीलाल	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
13.	हेमेन्द्र सिंह उर्फ ककु पुत्र किशोर सिंह चौहान	केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर
14.	प्रेमचंद पुत्र बीरबलराम	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
15.	शेराराम पुत्र बीरबलराम	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
16.	जुगलीराम पुत्र बीरबलराम	केन्द्रीय कारागृह, श्रीगंगानगर
17.	दीते खां पुत्र श्री अलाबचायें खां	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
18.	नभु खां उर्फ नभुडा पुत्र श्री मेहरदीन	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर
19.	ईलमदीन पुत्र श्री निजामदीन	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर

Sh. Vijay

17/8/23




(2)

20.	रामराज पुत्र राधाकिशन	जिला कारागृह, टोंक
21.	मुकेश पुत्र नहानू उर्फ नैनू	जिला कारागृह, टोंक
22.	रणधीर उर्फ बन्नी सिंह उर्फ जगवीर पुत्र उमेद सिंह	केन्द्रीय कारागृह, अलवर
23.	लियाकत अली पुत्र सत्तार अली	केन्द्रीय कारागृह, अजमेर
24.	अभिजीत राय पुत्र अमल किशन राय	विशिष्ट केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.04.2022 के अनुसरण में उक्त बंदियों को 15 अगस्त, 2023 को रिहा किया जावे।

राज्यपाल के आदेश से,




(अर्चना सिंह)

विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय कारागार मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
4. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
10. महानिदेशक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान।
12. राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान जयपुर।
13. महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार, समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश।
14. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
15. ✓ प्रोग्रामर, गृह (ग्रुप-6/समन्वय) विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. रक्षित पत्रावली।

  
विशिष्ट शासन सचिव